मुख्य मंत्री राहत कोष से उच्च शिक्षा (पोस्ट मैट्रिक) मद तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सहायता राशि स्वीकृत करने के क्रम में अपनाया जाने वाला आंतरिक मापदंड।

---

1. <u>*उच्च शिक्षा (पोस्ट मैट्रिक) के लिए*</u>

(क) वैसे तकनीकि एवं गैर तकनीकि शिक्षण संस्थान जो यूजीसी(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) अथवा उसके अनुषांगिक इकाई यथा, एआईसीटीई(अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा पर्षद), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई), इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च(आईसीएआर), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन(एनसीटीई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया(डीसीआई), फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया(पीसीआई), इंडियन नर्सिग काउंसिल(आईएनसी), बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई), सेंट्रल काउंसिल ऑफ होमियोपैथी(सीसीएच), सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन(सीसीआईएम), काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, डिस्टन्स एजुकेशन काउंसिल, पुनर्वास समिति, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीच्यूट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ हाईयर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(ख) वैसे, शिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का हो, अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा वित्त (आंशिक या पूर्ण) पोषित हो/संचालित हो।

(ग) शैक्षणिक संस्थान भारत वर्ष के अन्तर्गत हो।

(घ) राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी(एनएमए)/राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी(एनडीए) व फिल्म एवं टेलिविजल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया,पुणे में डिग्री/ डिप्लोमा में नामांकित छात्रों को भी मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता राशि अनुमान्य होगी।

(ङ) निजी प्रबंधन वाले संस्थानों में नामांकित छात्रों को मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता राशि अनुमान्य नहीं होगी।

(च) संस्थान में अभिदान(डोनेशन) के आधार पर नामांकन,भुगतेय सीट(पेमेंट सीट) या प्रबंधन सीट(मैनेजमेंट सीट) पर नामांकन एवं अप्रवासी भारतीय कोटे (एनआरआई कोटा) के अन्तर्गत कराए गए नामांकन के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता अनुमान्य नहीं होगी। प्रतियोगिता परीक्षा आधारित मात्र मेधा सीट (मेरिट सीट) एवं स्वतंत्र सीट (फ्री सीट) पर चयन/कराए गए नामांकन के लिए ही आर्थिक सहायता अनुमान्य होगी। (दिनांक 17.10.2006 से प्रभावी)

(छ) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना तथा एलएन मिश्रा इंस्टीच्यूट ऑफ इकनॉमिक डेव्लपमेंट एवं सोशल चेंज, पटना के दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत छात्रों को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(ज) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों यथा– नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डीज़ाइन, एक्सएलआरआई आदि के पेशेवर,विशेषीकृत कोर्स के लिए मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(झ) आईआईटी सहित अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से एमएससी/एमटेक कोर्स में नामांकित अभ्यर्थियों को मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता अनुमान्य है।

(ञ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में माध्यमिक परीक्षा एवं इंटरमीडियट परीक्षा में बिहार में प्रथम 10 स्थान प्राप्त एवं प्रत्येक जिला में शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

2. ***सहायता राशि की अनुमान्यता***

(क) भारतीय प्रद्यौगिकी संस्थान(आईआईटी)/भारतीय प्रबंधन संस्थान(आईआईएम)/राष्ट्रीय फैशन तकनीक संस्थान(निफ्ट)/राष्ट्रीय विधि विद्यालय जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लिए पूर्ण नामांकन(एडमीशन) राशि ।

(ख) सहायता राशि उन छात्र/ छात्राओं को दी जाएगी जिनकी अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक हो।

(ग) मुख्य मंत्री राहत कोष से किसी एक आवेदक को दी जाने वाली अधिकतम सहायता राशि की सीमा 50,000/- (पचास हजार) रूपये मात्र होगी।

(घ) नामांकन शुल्क को विस्तृत रूप से परिभाषित करते हुए होस्टल/मेस, कॉसन मनी (लौटाने जाने योग्य) तथा व्यक्तिगत खर्च को छोड़कर नामांकन के समय व्यय होने वाली राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकन शुल्क के लिए मदवार व्यय प्राक्कलन नहीं दी जाती है तो नामांकन के समय व्यय होने वाली कुल राशि (अधिकतम अनुमान्य राशि तक) स्वीकृत की जाएगी।

(ङ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छात्रों के उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में नामांकन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त करने की समय सीमा आगामी वर्ष की 30 जून होगी।

3. ***मापदण्ड***

(क) प्राप्त आवेदन पत्र के साथ स0वि0स0/स0वि0प0 की अनुशंसा अथवा मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन वांछित होगा।

(ख) छात्र/छात्रा का चरित्र स्वच्छ एवं उत्तम हो तथा थाने में उनके विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं हो।

(ग) वैसे छात्र/छात्रा को जिनके पिता/परिवार की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रूपये से अधिक होगी, मुख्य मंत्री राहत कोष से सहायता अनुमान्य नहीं होगी।

(घ) सामान्यतः सहायता राशि केवल नामांकन फीस के विरूद्ध अनुमान्य होगी।

(ङ) उपरोक्त कंडिका-1(क) में नामित पर्षद/बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधाक्रम में चयनित छात्र/छात्रा को ही सहायता राशि अनुमान्य होगी।

(च) मात्र प्रथम वर्ष में नामांकित छात्र/छात्रा को ही मुख्य मंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता अनुमान्य है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा या किसी अन्य माध्यमों द्वारा लैटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए सहायता अनुमान्य नहीं होगी।

प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए

उद्येश्य :-

राज्य के प्रतिभावान/उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी खेल/प्रशिक्षण/शिक्षण योगयता में अभिवृद्धि कर उनकी विशिष्टता में वृद्धि करना तथा खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान हेतु प्रेरित करना इसका मुख्य उद्येश्य होगा।

पात्रता :-

(क) खिलाड़ी बिहार राज्य का मूल निवासी हो या बिहार की ओर से खेलता हो।

(ख) वैसे खिलाड़ी जिसे किसी भी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो।

अथवा

वैसे खिलाड़ी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं यथा, ओलम्पिक, वर्ल्ड चौम्पियनशिप, एशियाड, एशियाई चैम्पियनशिप ,कॉमन वेल्थ गेम, सैफखेल, पुलिस गेम आदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत अथवा टीम स्पर्द्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

वैसे खिलाड़ी जिन्होंने इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त किसी भी खेल की टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्द्धा में अपने उम्र समूह की राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में एक से अधिक बार बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। यथा, नेशनल गेम, एस0जी0एफ0आई0, नेहरू हॉकी सोसायटी, सुब्रतो सोसायटी, भारतीय खेल प्राधिकरण, इंडियन ऑलम्पिक से मान्यता प्राप्त फेडरेशन द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता, आई0ओ0ए0 द्वारा आयोजित अन्य मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता।

(ग) वैसे खिलाड़ी जिसे राज्य के खेल विभाग या बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तीन बार या उससे अधिक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया हो।

(घ) आवेदक खिलाड़ियों की खेल योग्यता के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ङ) कला-संस्कृति, खेल एवं युवा विभाग की अनुशंसा के आधार पर ‘‘मुख्य मंत्री राहत कोष’’ से सहायता राशि दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

<u>मापदण्ड :-</u>

(क) खिलाड़ी के परिवार की वार्षिक आय-1,00,000/- (एक लाख) रूपये से अधिक नहीं हो।

(ख) खिलाड़ी सरकारी सेवक न हो।

(ग) खिलाड़ी का चरित्र स्वच्छ एवं उत्तम हो।

(घ) खिलाड़ी बिहार टीम से खेलता हो या अन्य राज्य के मूल निवासी हो पर बिहार की ओर से खेलता हो।

(ङ) समान प्रयोजन के लिए अन्य सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।

<u>अनुदान प्रयोजन :-</u>

(क) अनुदान खिलाड़ियों को तकनीकि योग्यता वृद्धि हेतु दिये जा सकेगें ताकि योग्यता अभिवृद्धि कर राज्य में खेलों के विकास के लिए कार्य कर सके तथा अपने लिए रोजगार के अवसर सृजित कर सकें।

(1.) नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ स्पोर्टस, पटियाला से डिप्लोमा-इन-कोचिंग की डिग्री प्राप्त करने हेतु।

(2.) विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय से मास्टर डिग्री इन फिजीकल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त करने हेतु।

(ख) खिलाड़ी को अपने खेल कौशल की अभिवृद्धि एवं दक्षता प्राप्ति हेतु।

(1.) संबंधित खेल के खेल उपकरण क्रय हेतु।

(2.) प्रशिक्षण चर्या जारी रखने हेतु एक वर्ष के लिए एक मुश्त राशि।

<u>सहायता राशि की अनुमान्यता :-</u>

(क) संस्था में नामांकन एवं कोर्स फीस की सम्पूर्ण राशि।

(ख) संबंधित उपकरण के लिए भा0खे0प्रा0 द्वारा स्वीकृत दर की राशि।

(ग) खेल विधा/प्रशिक्षक/प्रशिक्षण स्थान आदि के आधार पर मूल्यांकन की गयी राशि।

सदस्य सचिव,
मुख्य मंत्री राहत कोष,
बिहार।